राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 70( ) ग्राविवि / नरेगा / प्रशि. / एमजेएसए / ई.105633 / 2015–16

जयपुर,दिनांक 10 AUG 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के द्वितीय चरण में महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत तैयार की जाने वाली कार्य योजना बाबत्।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान राज्य सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में राज्य के गांवों में जल अभियान की गतिविधियां संचालित कर जल बजट अनुसार कृषि, पेयजल, पशु, व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों में जल की आवश्यकता की पूर्ती की जानी है। द्वितीय चरण में चयनित किये गये गांवों को जल उपलब्धता हेतु आत्म निर्भर बनाने के लिए प्रत्येक गांव की डी.पी.आर. तैयार कर जल संरक्षण एवं जल संग्रहण के कार्य कराये जाने हैं।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान अन्तर्गत तैयार की जा रही डी.पी.आर में महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत अनुमत गतिविधियों के कार्य आपके द्वारा प्रस्तावित किए जाते है मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि आपके द्वारा अभियान के अन्तर्गत लिए गये कुछ कार्य अपूर्ण रह गये है। जिसका मुख्य कारण महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत श्रमिकों की अनुपलब्धता होना अवगत कराया गया है।

वर्तमान में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान द्वितीय चरण में चयनित ग्रामों की डी.पी.आर बनाने का कार्य जिलों में प्रगति पर है उक्त अभियान अन्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत लिए जाने वाले कार्यो को शामिल करते समय निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

- ग्राम पंचायत क्षेत्र में सक्रिय जॉब कार्डधारी परिवारों की संख्या
- मुख्यमंत्री बजट घोषणा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित फोकस एरिया के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक मानव दिवस, श्रमिक एवं सामग्री मद की राशि
- श्रमिकों की उपलब्धता

- गत वर्ष अनुमोदित श्रम बजट
- महात्मा गांधी नरेगा योजना के दिशा– निर्देश एवं प्रावधान ।

कृपया मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के द्वितीय चरण में चयनित ग्रामों की डी.पी.आर तैयार करते समय उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, नरेगा योजना के कार्यो को समावेश करें, ताकि कार्यो को अभियान अवधि में ही गुणवत्ता पूर्वक एवं पारदर्शिता से पूर्ण कराया जा सके।

8/8/16

(रोहित कुमार)
आयुक्त, (ईजीएस)

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ठ सहायक, अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण।
2. विशिष्ठ सहायक, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, ग्रावि. एवं पंरावि।
4. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, पंरावि।
5. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, ग्रा.वि.।
6. निजी सचिव, निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग।
7. नोडल ऑफीसर, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान ग्रावि0/पंरावि/जल ससांधन/जन स्वा0अभि0/वन एवं पर्यावरण/कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. मुख्य कार्य0 अधि0 एवं अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) जिला परिषद समस्त।
9. अति0 आयुक्त प्रथम (ईजीएस) वेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

परि.निदे.एवं सं. सचिव (ईजीएस)